निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 125/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. घनश्याम जागा पुत्र श्री जयलाल
2. रामस्वरूप जागा पुत्र श्री महादेव जागा
3. पृथ्वीराज जागा पुत्र श्री हरसहाय जागा
4. उम्मेद सिंह पुत्र पृथ्वीराज
5. आम जनता

निवासी श्रीरामगोपालपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार आंधी पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, तहसीलदार आंधी, जिला जयपुर ।
2. नाथू लाल मीणा पुत्र श्री नहनूराम मीणा जाति मीणा निवासी श्रीरामगोपालपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व तहसीलदार आंधी के समक्ष लम्बित प्रकरण संख्या 04/2022 ब उनवानी नाथूलाल मीणा बनाम सरकार को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 19.09.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार आंधी के समक्ष प्रकरण संख्या 04/2022 ब उनवानी नाथूलाल मीणा बनाम सरकार विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार आंधी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार आंधी द्वारा बिना प्रार्थीगण को सुने, बिना साक्ष्य दस्तोवज लिये, बिना मौका जांच किये एवं बिना निरीक्षण किये ही पत्रावली मे निर्णय करने पर आमादा है। प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली नकल लेने के लिए आवदेन किये जाने पर नकल भी उपलब्धता नहीं करवाई जा रही है । अप्रार्थी संख्या 1 केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 2 के कहे अनुसार ही अप्रार्थी संख्या 2 को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से उक्त प्रकरण को बिना समझे ही निस्तारण करने पर आमादा है। प्रार्थीगण विवादग्रस्त आंराजी पर कदीमी

जिला कलक्टर
जयपुर

समय से निवास कर रहे है । जहां प्रार्थीगण ने अपने कच्चे पक्के मकान बना रखे है और विद्युत कनेक्शन व पानी कनेक्शन प्राप्त कर रखे है । प्रार्थीगण उक्त आराजी पर निवास कर अपना व अपने परिवार का लालन पालन करते आ रहे है। उक्त आराजी पर करीब 30 परिवार वर्षो से निवास कर रहे है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होने से पक्षकारान संयोजित किये जाने बाबत एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का प्रस्तुत किया, जिसे भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इस पर प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी पी सी को जरिये डाक अप्रार्थी संख्या 1 के यहां भिजवाया गया, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है इससे भी साफ स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में होने से प्रार्थीगण के उक्त प्रकरण में फरीक बनाये बिना ही प्रकरण को निस्तारण करने पर आमादा है। अप्राथी संख्या 2 राजनैतिक पहुंचा वाला व्यक्ति है जो मात्र रंजीश वश प्रार्थीगण को भूमि से अवैद्य तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर बेदखल करने पर आमादा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीगण को एलानियां धमकी दी जा रही है कि मै तुम्हें जल्दी ही इस भूमि से बेदखल कर दूंगा । मेरे अप्रार्थी संख्या 1 से बातचीत हो चुकी है, तुम्हें जो करना हो सो कर लो । इस कारण प्रार्थीगण को अधीनस्थ तहसीलदार से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थीगण ने सरासर गलत व मनघढन्त आरोपों के साथ यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। फिर भी यदि मान्य न्यायालय चाहे तो अन्यत्र न्यायालय में प्रकरण का स्थानान्तरण कर दिया जावे।
6. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी संख्या 2 भी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
8. तहसीलदार आंधी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 4/2022 ब उनवानी नाथूलाल मीणा बनाम सरकार को न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ में मुन्तकिल किया जाता है।
9. पक्षकारान तहसीलदार जमवारामगढ के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 13.10.2022 को उपस्थित हो। तहसीलदार जमवारामगढ प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुनकर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा तहसीलदार आंधी व तहसीलदार जमवारामगढ को प्रेषित हो। जिला पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।
11. निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर